बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।
आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 199 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

जल संसाधन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई/बाढ़ की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें प्राप्त की जा रही हैं। निविदाओं के निष्पादन के क्रम में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के संबंध में प्राप्त परिवादों के आलोक में निविदा निष्पादन में संभावित विलम्ब एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदाओं के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबंध में विभागीय पत्रांक 535 दिनांक 13.06.2013 से प्रक्रिया निर्धारित है परन्तु जिन निविदाओं का निष्पादन विभागीय निविदा समिति द्वारा किया जाता है, उनके तकनीकी एवं वित्तीय बीड के संबंध में गम्भीर प्रकृति के परिवादों की समीक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

2. (क) उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुख्यालय स्तर पर निष्पादित निविदाओं के तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के संबंध में प्राप्त गंभीर प्रकृति के परिवादों पर विचार हेतु निम्न रूप से तकनीकी पदाधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है :–

I.	सम्बद्ध अभियंता प्रमुख–	अध्यक्ष
II.	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग–	सदस्य
III.	सम्बद्ध मुख्य अभियंता –	सदस्य
IV.	असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग–	सदस्य

(ख) असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग के रूप में निम्न रूप से नामित अधीक्षण अभियंता बैठक में भाग लेंगे:–

अंचल का नाम, जिसके कार्य क्षेत्र से संबंधित परिवाद की जॉच की जानी है	नामित अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3	बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल
बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2

(ग) तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा निष्पादित तकनीकी बीड अथवा अभियंता प्रमुख के स्तर से निष्पादित एकल निविदा से संबंधित परिवाद पर समिति के सुझाव के पश्चात प्रधान सचिव/ सचिव का निर्णय प्राप्त किया जायेगा ।

(घ) विभागीय निविदा समिति द्वारा निष्पादित तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित परिवाद पर समिति के सुझाव के पश्चात प्रधान सचिव/सचिव समीक्षा कर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का आदेश प्राप्त करेंगे।

3. क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदाओं यानि 3.50 करोड़ रूपये तक की निविदाओं के तकनीकी बीड/वित्तीय बीड से संबंधित परिवादों की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर गठित तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा की जायेगी। समिति की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/ सचिव का निर्णय प्राप्त किया जायेगा ।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश सं० 535 दिनांक 13.06.2013 को निरस्त किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

14.3.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 199 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K Singh 14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–199 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

K Singh 14.3.16

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)